# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

## अनवान

## सन्तोष कौर बनाम् बीरूराम

प्रकरण संख्या 27/2026
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

जी.सी.एम.एस नं.–2026/53

| आदेश तारीख | आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर | आदेश की पालना में की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | आज यह पत्रावली प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री किशोर कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेशी हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें।<br><br>वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष का प्रतीत होता हैं तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके **चक 6 के एस डी का मुरब्बा नं.–4 पत्थर नं.–254/368 का किला नं.–11/3, 12 ता 25 कुल 3.685 हैक्टर भूमि में 1/5 हिस्सा** कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीया के हिस्से तक **रिकॉर्ड की यथास्थिति** बनाकर रखें।<br><br>सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए.डी. के पेश करे। रजि. ए.डी. नोटिस की पोस्ट ऑफिस रसीदे पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर स्वतः निरस्त मानी जावेगी। बहस हेतु अवसर चाहने पर उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने का विचार किया जा सकेगा। पत्रावली आईन्दा **दिनांक 24.04.2026** को पेश हो।<br><br>सुरेश राव<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अनूपगढ़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested

| आदेश तारीख | आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर | आदेश की पालना में की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 24/4/26 | पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 1/6/24 को पेश हो। | |
| 27/4/26<br>सन्तोष कौर<br>रोशनी कुमारी<br>पक्षकारान मय<br>27/4/26 | आज पत्रावली मूल वाद में प्रा०पत्र पेश होने पर पेशी में ली गई मूल वाद का निस्तारण होने के कारण इस प्रा०पत्र 21 NTA का तब कोई औचित्य नहीं रहा अतः प्रा०पत्र 21 NTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br>सुरेश राव<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अनूपगढ़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested